संख्या 72/XII/2006/86(10)/2005 टी0सी0-II

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून.

पंचायती राज अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 02 फरवरी, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 के क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-405/XXi/10/86(10)/2005 टी0सी0-1 दिनांक 25 मई, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित विकास खण्डों में विकास कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित रू. 23,75,00,000/- के सापेक्ष कमशः एस0सी0एस0पी0 हेतु रू. 2,25,63,000/- टी0एस0पी0 हेतु रू. 47,50,000/- तथा सामान्य अंश हेतु रू. 9,14,37,000/-अर्थात् रू 11,87,50,000/- की धनराशि (50%) अवमुक्त की गयी थी तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा मॉग के आधार पर शेष रू. 11,87,50,000/- की धनराशि (50%) अवमुक्त जानी है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में विकास कार्यो हेतु प्रति वर्ष रू. 25 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये "क्षेत्र पंचायत निधि" का प्राविधान किया गया है। जिसे प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की जा रही वृद्धि की मॉग के दृष्टिगत रू. 5.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से 95 विकास खण्डों हेतु कमशः सामान्य पक्ष में रू. 365.75 लाख, एस0सी0सी0पी0 पक्ष में 90.25 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में रू. 19.00 लाख अर्थात् कुल रू. 475.00 लाख (रू. चार करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृति जानी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं प्रथम अनुपूरक के माध्यम से विकास खण्डों में विकास कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 237500 हजार + 47500 हजार (अनुपूरक के माध्यम) अर्थात् कुल प्राविधानित रू. 28,50,00,000/- के सापेक्ष अवशेष रू 16,62,50,000/- (रू. सोलह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अवमुक्त धनराशि का प्रत्येक तिमाही उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।
2. उक्त. धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाए तथा स्वीकृत धनराशि की जनपदवार फान्ट निर्धारित मानकों के अनुसार अपने स्तर से किया जाय ।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाएगा।
5.. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

6. बजट मैनुअल, वत्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज रुल्स,डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों मे अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज –आयोजनागत –07–00–आयोजनागत–07–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–00–42–अन्य व्यय से रुपये 12,80,12,000/– अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट–0201–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–00–42–अन्य व्यय से रुपये 3,15,88,000/– तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–796–आयोजनागत–03–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय से रुपये 66,50,000/– की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–319(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 31 जनवरी, 2011 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(राजीव चन्द्र)
सचिव ।

संख्या /XII/10/86(10)/2005टी.सी.–। तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
5 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
11.वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
13. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव ।